चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक:- सम्बद्धता/ 1250

दिनांक:- 23.09.2003

सचिव,
मेवाड इंस्टी0 ऑफ लॉ,
सैक्टर - 4, सी0 वसुन्धरा, गाजियाबाद।

महोदय,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स.1902//जी0एस0 दिनांक 23 अगस्त, 2003 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आपके संस्थान को कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन मेवाड इंस्टी0 ऑफ लॉ, गाजियाबाद को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एल0एल0बी0(तीन एंव पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2003 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देश एंव समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एंव अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है। -

2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नही किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार एल0एल0बी0(तीन एंव पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सत्र दिनांक 01.07.2003 से उपरोक्त शर्तों के अधीन सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगें , जिसके लिए पृथक से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:- 1. सहायक कुलसचिव(लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी कमैटी सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव